



न्यायालय: सिविल जज (जू0 डि0) बहेड़ी, जनपद बरेली।  
उपस्थित: श्री विजय शंकर गौतम, उ0 प्र0 न्यायिक सेवा।

Judicial Officer Code-UP03454

CNR No.UPBR180001372009

मूलवाद सं0-11/2009

1. बालकराम आयु लगभग 45 वर्ष
2. ओमप्रकाश आयु लगभग 40 वर्ष
3. नरेन्द्र कुमार आयु लगभग 25 वर्ष
4. चरन सिंह आयु लगभग 28 वर्ष  
पुत्रगण किशन लाल  
नि0 गण ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

.....वादीगण

#### बनाम

1. महेन्द्र पाल पुत्र रामस्वरूप
2. अमरनाथ पुत्र रामस्वरूप
3. परमानन्द पुत्र रामस्वरूप
4. जगदीश पुत्र रामस्वरूप  
वयस्क पुत्रगण रामस्वरूप
5. हेमराज वयस्क पुत्र छेदालाल  
समस्त निवासीगण ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली।

.....प्रतिवादीगण

#### निर्णय

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।
2. वाद पत्र के अनुसार वादीगण का संक्षिप्त अभिकथन है कि वादीगण का कदीमी रिहायशी पुश्तैनी पुख्ता मकान गांव की आबादी में ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित है। जिसपर वादीगण शांतिप्रिय ढंग से काबिज व दखील चले आते हैं, जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ ए0 बी0 सी0 डी0 से दर्शाया गया है। वादीगण के प्रश्नगत रिहायशी मकान का आंशिक सहन जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ ए0 इ0 सी0 एफ0 व रंग लाल से दर्शाया गया है जिसकी पैमाईश पूरब पश्चिम 8 गज व उत्तर दक्षिण 12 गज है। जिसकी पश्चिम दिशा में शेष सहन वादीगण का है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी हरूफ ई0 जी0 एफ0 एच0 से दर्शाया गया है। जिसमें वादीगण का लगभग 50 वर्ष पुराना पाकड़ का पेड़ खड़ा है। वादीगण अपने इस प्रश्नगत सहन व उसके शेष भाग का इस्तेमाल अपने काश्तकारी के सामान रखने जानवर बांधने, ईंधन रखने व फसल रखने के प्रयोग में लाते हैं। पूरे सहन के पश्चिम दिशा में वादीगण के मकान के तीन दरवाजे खुलते हैं व दरवाजों से मिला हुआ बजानिव पश्चिम वादीगण का बरामदा दो पल्लू खपरैल पोश पुख्ता है, जो मकान रिहायशी का ही भाग है। प्रतिवादीगण का कोई हक वास्ता व कब्जा वादीगण के प्रश्नगत सहन जो वादीगण के पुश्तैनी रिहायशी मकान का भाग है पर नहीं है। प्रतिवादीगण हेकड़ झगडालू व बाहुबली लोग हैं। वह अजराह सरकशी बिना किसी अधिकार के जबरिया वादीगण के प्रश्नगत आंशिक सहन जिसे संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ

ए0इ0सी0एफ0 व लाल रंग से दर्शाया गया तथा जिसकी सीमाये व पैमाईश वाद पत्र के अन्त में अंकित है पर कब्जा करके रास्ता निकालना चाहते हैं। प्रतिवादीगण एलानियां यह धमकी दे रहे हैं कि उनकी स्थानीय पुलिस से बात हो चुकी है और वह दो चार दिन में ही पुलिस की मदद से वादीगण के प्रश्रगत सहन पर कब्जा करके उस पर रास्ता बना लेंगे। कल दिनांक 27.12.2008 को प्रतिवादीगण वादीगण के प्रश्रगत भाग सहन पर जबरिया कब्जा करने की नीयत से फावड़ा गेंती व लाठी डंडे लेकर आये, लेकिन वादीगण के विरोध करने पर व गांव वालों के आ जाने से वह अपने फेलवेजा को अन्जाम न दे सके और यह धमकी दे गये कि दो चार दिन में ही पुलिस वालों को लाकर कब्जा कर लेंगे और जो कोई उन्हें रोकेगा उसे जान से मार देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादीगणों को अपूर्णनीय क्षति पहुंचेगी। प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों को अन्जाम देने पर डटे हुए हैं और वादीगण के कहने पर भी नहीं मान रहे हैं जिस कारण वादीगण के पास अविलम्ब नालिश दायर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति वादीगण के हक में है। वाद का कारण दिनांक 27.12.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के प्रश्रगत सहन पर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास करने पर ग्राम उदरा अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा के पैदा हुआ और अदालत को हक समायत नालिश हासिल है। तायून नालिश वगरज अख्त्यार समायत वादग्रस्त सम्पत्ति की बाजारी कीमत लगभग 10,000/-रुपये पर किया जाता है तथा कोर्टफीस स्थाई निषेधाज्ञा इसके 1/5 भाग पर यानि 2000/-रुपये पर हस्ब कानून अदा की जाती है।

3. अतः वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि बजरिये डिग्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर, एजेंट सहयोगी आदि को प्रतिबंधित किया जावे कि वह वादीगण के मकान के प्रश्रगत सहन जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ ए0इ0सी0एफ0 व रंग लाल से दर्शाया गया है तथा जिसकी सीमाये व पैमाईश वाद पत्र के अन्त में अंकित है, पर वादीगण के शांतिप्रिय कब्जे में किसी भी मजामत करने व उस पर रास्ता निकालने से बाज रहे।

4. प्रतिवादी सं0 5 द्वारा दिनांक 01.05.2009 को अपना लिखित कथन कागज सं0 22 क दाखिल किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की ओर से अपना लिखित कथन कागज सं0 28 क दिनांक 29.08.2009 को दाखिल किया गया। दिनांक 07.02.2023 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0 5 की अनुपस्थिति के कारण इस वाद की कार्यवाही प्रतिवादी सं0 5 के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

5. प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की ओर से लिखित कथन कागज सं0 28 क मय शपथ पत्र 29 ग दाखिल करते हुए वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार किया एवं अतिरिक्त लिखित कथन में कहा है कि वादीगण का कोई संबंध व सरोकार विवादित जगह ए0ई0सी0एफ0 व ई0एफ0जी0एस0 से नहीं है। विवादित जगह पर वादीगण का कोई कब्जा व दखल नहीं है। विवादित जगह खाद के गड्डे हैं जिसपर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से देशी खाद/घूरा डालते चले आ रहे हैं। वादीगण गैर कानूनी रूप से विवादित जगह खाद गड्डे पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिसपर वादीगण का कोई हक नहीं है और न ही वादीगण को सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कोई अधिकार पैदा हो सकते हैं। वादीगण कथन कि वादीगण विवादित जगह के मालिक काबिज व दखील है गलत है तथा झूठ एवं बदनियत पर आधारित है। वादीगण न तो विवादित जगह के मालिक हैं और न ही वादीगण का विवादित जगह पर कब्जा है। विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा सं0 236 का भाग है जो खाद के गड्डे हैं और प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से उक्त खाद के गड्डों को उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। वादीगण को वाद दायर करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसके कारण वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से बाधित है, जिसके वाद चलने योग्य नहीं है और नामंजूर किये जाने योग्य है। वाद अल्प मूल्यांकित है तथा न्यायशुल्क

अपर्याप्त अदा किया गया है। माननीय न्यायालय को उपरोक्त वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का वाद सदभावना एवं सच्चाई पर आधारित नहीं है। अतः वादीगण किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने के पात्र नहीं है। विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इसलिए गांव सभा उदरा आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वाद दूषित है और चलने योग्य नहीं है। वादीगण का वाद गलत तथा मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, चलने योग्य नहीं है। निरस्त होने योग्य है।

6. वादीगण द्वारा प्रतिउत्तर कागज सं० 36 ग मय शपथ पत्र कागज सं० 37 ग दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रतिवाद पत्र की समस्त धाराये गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों व वादग्रस्त सम्पत्ति की मौके की स्थिति को छुपाया है। वादी ने गांव सभा की किसी सम्पत्ति पर अनधिकार कब्जा नहीं किया है। कौल प्रतिवादीगण गलत ब्यानी पर मवनी है। प्रतिवादीगण व ग्राम प्रधान आपस में मिले हुये है। असल बात यह है कि ग्राम प्रधान की मिली भगत से गाटा सं० 236 पर गांव के हेतराम व उसके भाईयों ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है। कुछ हिस्से पर मकान बना लिया है व शेष भाग अपने खेत गाटा सं० 237 में मिला लिया है। जुमला प्रतिवादी आपस में साजशी गिरोह बंद व सरकश लोग है। वादीगण की वादग्रस्त सम्पत्ति जो उसके मकान का सहन है पर जबरिया कब्जा करना चाहते है। जिस कारण वादीगण को प्रश्रगत वाद अविलम्ब दायर करना पड़ा। वाद का मूल्यांकन व कोर्टफीस की अदायगी विधिवत किया गया है। वादीगण की वादग्रस्त सम्पत्ति सहन से गांव सभा का कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है।

7. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2010 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:-

1. क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, के स्वामी, अध्यासीन है यदि हां तो प्रभाव ?
2. क्या विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग की भूमि है यदि हां तो प्रभाव ?
3. क्या वाद आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० के प्रावधानों से बाधित है यदि हां तो प्रभाव ?
4. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है यदि हां तो प्रभाव ?
5. क्या वादशुल्क अपर्याप्त अवधारित किया गया है यदि हां तो प्रभाव ?
6. क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है ?
7. क्या न्यायालय को वाद के सुनवायी के क्षेत्राधिकार प्राप्त है यदि है तो प्रभाव ?
8. अनुतोष यदि कोई हो तो जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है ?

8. वादीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में पी० डब्लू० 01, बालकराम का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं० 55 क, पी० डब्लू० 02, अली मो० का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं० 85 क, पी० डब्लू० 03, त्रिलोक सिंह उर्फ राजू का साक्ष्य शपथ पत्र कागज सं० 89 क दाखिल कर परीक्षित कराया गया है।

9. प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 4 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी० डब्लू० 01 परमानन्द का साक्ष्य शपथ पत्र 97 क दाखिल कर परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से सूची 32 ग के माध्यम से कागज संख्या 33 ग/1 उद्धरण खतौनी ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी फसली वर्ष 1414 से 1419, कागज सं० 33 ग/2 नकल खसरा 1416 फसली ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली दाखिल किया गया है तथा सूची 47 ग के माध्यम से कागज सं० 48 ग कलेक्टर द्वारा निर्धारित आबादी भूमि की बाजार मूल्य की सूची दाखिल की गयी है तथा फेहरिस्त कागज सं० 107 ग के माध्यम से कागज सं० 108 ग नक्शा भू-मानचित्र ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली दाखिल की गयी है तथा सूची 152 ग/1 के माध्यम से लेखपाल आख्या दिनांकित 12.12.2013 कागज सं० 152 ग/2 दाखिल की गयी है।

विवादित सम्पत्ति के बावत अमीन आख्या 23 ग संलग्न पत्रावली है।

### निष्कर्ष

#### 10. निस्तारण वाद बिन्दु सं० 01-

वाद बिन्दु सं० 01 इस आशय का विरचित किया गया है कि, "क्या वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, के स्वामी, अध्यासीन है यदि हां तो प्रभाव?"

वादीगण द्वारा वाद पत्र में कहा गया है कि, "वादीगण का कदीमी रिहायशी पुश्तैनी पुख्ता मकान गांव की आबादी में ग्राम उदरा परगना रिछा तहसील बहेड़ी जिला बरेली में स्थित है। जिसपर वादीगण शांतिप्रिय ढंग से काबिज व दखील चले आते हैं, जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ ए० बी० सी० डी० से दर्शाया गया है। वादीगण के प्रश्रगत रिहायशी मकान का आंशिक सहन जिसको वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में हरूफ ए० इ० सी० एफ० व रंग लाल से दर्शाया गया है जिसकी पैमाईश पूरब पश्चिम 8 गज व उत्तर दक्षिण 12 गज है। जिसकी पश्चिम दिशा में शेष सहन वादीगण का है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी हरूफ ई० जी० एफ० एच० से दर्शाया गया है। जिसमें वादीगण का लगभग 50 वर्ष पुराना पाकड़ का पेड़ खड़ा है। वादीगण अपने इस प्रश्रगत सहन व उसके शेष भाग का इस्तेमाल अपने काश्तकारी के सामान रखने जानवर बांधने, ईंधन रखने व फसल रखने के प्रयोग में लाते हैं।

वादीगण के उक्त कथन का विरोध करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में कहा गया है कि वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार विवादित जगह ए० इ० सी० एफ० व इ० एफ० जी० एच० से नहीं है विवादित जगह पर वादीगण का कोई कब्जा व दखल नहीं है। विवादित जगह खाद के गड्ढे हैं जिस पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से देशी खाद/घूरा डालते चले आ रहे हैं। वादीगण न तो विवादित जगह के मालिक हैं और न ही वादीगण का विवादित जगह पर कब्जा है। विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा सं० 236 का भाग है। जो खाद के गड्ढे हैं और प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से उक्त खाद के गड्ढों को उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। जिस पर वादीगण द्वारा अपने प्रतिउत्तर कागज सं० 36 ग में कहा गया है कि असल बात यह है कि ग्राम प्रधान की मिली भगत से गाटा सं० 236 पर गाँव के हेतराम व उसके भाईयों ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है। कुछ हिस्से पर मकान बना लिया है व शेष भाग अपने खेत गाटा सं० 237 में मिला लिया है।

वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 1 बालकराम ने अपनी जिरह में कहा है कि मौके वाली जमीन पर खाद के गड्ढे नहीं हैं। खाद के गड्ढे हेतराम के खेत में हैं। हेतराम का खेत व विवादित जगह मिली हुई है। गाँव में खाद के गड्ढे हैं। उन खाद के गड्ढों का मुझे नम्बर नहीं पता है। हेतराम का खेत व खेत के गड्ढे आपस में मिले हुए हैं। मेरे मकान के पूर्व में खेत हैं। खेत हेतराम के भाईयों का है। पश्चिम में चचेरे भाई का मकान है। उत्तर में रास्ता व गली है। दक्षिण में हेमराज की खाली जगह है। मेरे मकान का मुख्य दरवाजा पूरब की ओर है। खेत नं० 236 व 237 बराबर-बराबर हैं व गड्ढे हेतराम के खेत में हैं। खेत नं० 236 के पूर्व में हेतराम का खेत है। 236 के पश्चिम में मेरी पाकड़ खड़ी है। खेत नं० 236 के उत्तर में रास्ता और दक्षिण में हेमराज की खाली जगह पड़ी है। खाद के दक्षिण में हेमराज का खाली जगह है।

वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 2 अली मोहम्मद ने अपनी जिरह में कहा है कि विवादित जगह के पश्चिम में पाकड़ का पेड़ है। मेरे गाँव में दो खलिहान हैं। परमानन्द का मकान हेतराम के खेत के पश्चिम में है। उत्तर में रास्ता, दक्षिण में पाकड़ है।

वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 3 त्रिलोक सिंह ने अपनी जिरह में कहा है कि खाद के गड्ढे गाँव में कई जगह हैं। नम्बरो की मुझे जानकारी नहीं है। हेतराम के खेत के पास जो खाद का गड्ढा है उसका मुझे नम्बर नहीं पता है। विवादित जगह के पूरब में हेतराम

का खेत है। पश्चिम में वादीगण का सहन है। बालक राम की जगह में पेड़ खड़ा है। विवादित जगह के उत्तर में रास्ता है। विवादित जगह के दक्षिण में हेतराम की जगह है। हेतराम के खेत के आसपास सरकारी कागज में गड्डे हैं कि नहीं नहीं जनता। हेतराम ने गड्डों को खेत में मिला लिया है। ये बात पूरा गाँव कहता है कि हेतराम व उसके भाईयों ने खाद के गड्डों पर कब्जा कर रखा है।

प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू० 1 परमानन्द ने अपनी जिरह में कहा है कि मेरे गाँव में चारो तरफ खलिहान हैं। खाद के गड्डों का नं० 236 है। मेरे गाँव में पूरब व पश्चिम में कुल 3-4 गड्डे हैं। खाद के गड्डे व खलिहान के मालिक गाँव सभा होती है। हेतराम को जानता हूँ। इनका मकान खाद के गड्डे में नहीं बना है। मुझे गाँव के नक्शे के बारे में जानकारी नहीं है। मुकदमा वाली जमीन पर वादीगण का कब्जा नहीं है। मेरे घूरे पड़े हैं।

उभयपक्षों की जिरह एवं वादपत्र के अंत में दाखिल नक्शा तथा अमीन रिपोर्ट के साथ दाखिल नक्शा नजरी में विवादित स्थल के पूरब में हेतराम की जगह व पश्चिम में पाकड़ का पेड़ के बीच में विवादित स्थल ए०इ०सी०एफ० का होना दर्शित होता है। वादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर कागज सं० 36 ग में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि गाटा सं० 236 के कुछ हिस्सों पर हेतराम व उसके भाईयों ने कब्जा कर रखा है तथा शेष भाग अपने खेत गाटा सं० 237 में मिला रखा है। इससे यह स्पष्ट है कि पाकड़ के पेड़ व गाटा सं० 237 के मध्य ही कहीं विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल नक्शा कागज सं० 108 ग में भी गाटा सं० 237 के पश्चिम में गाटा सं० 236 का होना दर्शाया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० गाटा सं० 236 में स्थित है।

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त के संबंध में पत्रावली पर उद्धरण खतौनी कागज सं० 33 ग/1 तथा नकल खसरा कागज सं० 33 ग/2 दाखिल किया गया है तथा नक्शा भू-मानचित्र कागज सं० 108 ग दाखिल किया गया है। दाखिल खतौनी एवं खसरा में विवादित सम्पत्ति गाटा सं० 236 खाद के गड्डे के रूप में दर्ज है। पत्रावली पर दाखिल अमीन आख्या कागज सं० 23 ग/11 में भी विवादित जगह को खाद के गड्डे के रूप में पाया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० के संबंध में यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि ए०इ०सी०एफ० किस गाटा सं० में आता है और न ही उक्त के संबंध में कोई मालकागजात ही वादीगण द्वारा दाखिल किया गया है। जिससे विवादित सम्पत्ति पर वादीगण का स्वामित्व व अध्यासन साबित हो।

चूंकि अमीन रिपोर्ट में विवादित सम्पत्ति को खाद के गड्डे के रूप में दिखाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति को गाटा सं० 236 में होना बताया गया है जो प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल मालकागजात में खाद के गड्डे के रूप में दर्ज है और जिसकी पुष्टी अमीन रिपोर्ट कागज सं० 23 ग से भी होती है जिस पर तथा वादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति किस गाटा सं० के अन्तर्गत आता है इसका उल्लेख अपने वादपत्र में कहीं पर भी नहीं किया गया है और न ही उक्त विवादित सम्पत्ति के संबंध में कोई मालकागजात ही दाखिल किया है जिससे विवादित सम्पत्ति पर वादीगण का स्वामित्व व अध्यासन साबित हो। अतः वादबिन्दु सं० 1 प्रतिवादी के पक्ष में विरुद्ध वादी निर्णीत किया जाता है। जो इस निर्णय का अंश होगा।

## 11. निस्तारण वादबिन्दु सं० 2

वादबिन्दु सं० 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग की भूमि है यदि हाँ तो प्रभाव?

उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० को सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा सं० 236 का भाग होना कहा गया है। जो खाद के गड्डे हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित जगह का उपयोग अपने पूर्वजों के जमाने से खाद के गड्डों के रूप में किये जाने का दावा किया गया है जबकि वादी द्वारा विवादित

सम्पत्ति का कोई गाटा सं० या नम्बर नहीं बताया गया है तथा अपने वादपत्र में विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० को शेष सहन के रूप में काश्तकारी के सामान रखने, जानवर बांधने, ईंधन व फसल रखने के प्रयोग में लाया जाना कहा गया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त के संबंध में गाटा सं० 236 की खतौनी कागज सं० 33 ग/1 व खसरा 33 ग/2 दाखिल किया गया है जिसमें गाटा सं० 236 को खाद के गड्ढे के रूप में दिखाया गया है। अमीन रिपोर्ट में भी विवादित सम्पत्ति ए०इ०सी०एफ० को खाद के गड्ढे के रूप में पाया गया है। चूंकि खाद के गड्ढे सार्वजनिक उपयोग की रिजर्व लैण्ड होती है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। जिसका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन तथा वाद बिन्दु सं० 1 के निस्तारण में निकाले गये निष्कर्ष के आलोक में वाद बिन्दु सं० 2 वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। जो इस निर्णय का अंश होगा।

### 12. निस्तारण वाद बिन्दु सं०-3

वादबिन्दु सं० 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित है यदि हाँ तो प्रभाव?

उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन कागज सं० 28 क में कहा गया है कि वादी को वाद दायर करे का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जिसके कारण वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित है। जिससे वाद चलने योग्य नहीं है और नामंजूर किये जाने योग्य है।

उक्त के संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र के पैरा 9 में कहा गया है कि वाद का कारण दिनांक 27.12.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के प्रश्नगत सहन पर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास करने पर ग्राम उदरा अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा के पैदा हुआ।

चूंकि विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र में संलग्न नक्शा नजरी में ए०इ०सी०एफ० से दर्शित किया गया है। जिसे वादीगण द्वारा अपना आंशिक सहन होना वादपत्र में कहा गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग की भूमि खाद के गड्ढे व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खाद के गड्ढों का उपयोग पूर्वजों के जमाने से होना कहा गया है। जिसपर उभयपक्षों में विवाद होने की स्थिति में वादी को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद बिन्दु सं० 3 वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है। जो इस निर्णय का अंश होगा।

### 13. निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 व 5-

वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है यदि हाँ तो प्रभाव? तथा वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद शुल्क अपर्याप्त अवधारित किया गया है यदि हाँ तो प्रभाव?

उपरोक्त वाद बिन्दु न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.03.2012 द्वारा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किये जा चुके हैं। जो इस निर्णय का अंश होंगे।

### 14. निस्तारण वाद बिन्दु सं०-6

वाद बिन्दु सं० 6 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है?

उक्त के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन कागज सं० 28 क में कहा गया है कि विवादित जगह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है इसलिए ग्राम सभा उदरा आवश्यक पक्षकार हैं। आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वाद दूषित है और चलने योग्य नहीं है। उक्त के संबंध में वादीगण द्वारा अपने प्रतिउत्तर कागज सं० 36 ग में कहा गया है कि वादी ने गांव सभी की किसी सम्पत्ति पर अनाधिकार कब्जा नहीं किया है और प्रतिवादीगण गलत बयानी पर मवनी हैं।

चूंकि वाद बिन्दु सं० 6 वाद बिन्दु सं० 2 से संबंधित है तथा वाद बिन्दु सं० 2 वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है अतः वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से दूषित है व वाद बिन्दु सं० 6 वादीगण के विरुद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। जो निर्णय का अंश होगा।

#### 15. निस्तारण वाद बिन्दु सं० 7

वाद बिन्दु सं० 7 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है यदि है तो प्रभाव?

उक्त के संबंध में वादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि वाद का कारण दिनांक 27.12.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के प्रश्रगत सहन पर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास करने पर ग्राम उदरा अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा के पैदा हुआ और अदालत को हक समायत नालिश हासिल है। जिसपर प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में कहा गया है कि माननीय न्यायालय को उपरोक्त वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

चूंकि न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं० 4 व 5 का निस्तारण दिनांक 27.03.2012 को वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जा चुका है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित किया गया है एवं प्रदत्त वाद शुल्क भी पर्याप्त है तथा विवादित सम्पत्ति इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत आता है। तदुसार इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वाद बिन्दु सं० 7 वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है। जो निर्णय का अंश होगा।

#### 16. निस्तारण वाद बिन्दु सं० 8

वाद बिन्दु सं० 8 अनुतोष के संबंध में बनाया गया है वाद बिन्दु सं० 1 में निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादीगण वादपत्र में वर्णित विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में ए० इ० सी० एफ० व लाल रंग से दर्शाया गया है के मालिक काबिज व दखील नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदुसार वाद बिन्दु सं० 8 निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में ए० इ० सी० एफ० व लाल रंग से दर्शाया गया है पर अपना दावा साबित करने में असफल रहे हैं अतः दावा वादी साबित नहीं है व निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक:-19.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि० बहेड़ी, बरेली।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक:-19.03.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि० बहेड़ी, बरेली।